राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

निर्णय

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 801/2011
दी नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
बनाम
लल्लूराम साहू व अन्य

दिनांक – 30.3.2013

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री अनिल कुमार शर्मा वास्ते श्री आर.पी.विजय, अधिवक्ता अपीलार्थी।
सर्व श्री के.एन.तिवारी एवं पी.एल.हिसारिया, अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगण।

अपीलार्थी की ओर से यह सिविल विविध अपील मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जयपुर शहर, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.11.2010 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण-क्लेमेन्ट्स को 3,25,000/- रुपये क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का आदेश दिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रकरण के तथ्यों में जाने से पूर्व कथन किया कि विद्वान अधिकरण ने विवाघक संख्या 3 व 4 का निर्णय सही रुप से नहीं किया है, जिससे मामले को अधिकरण को पुन: निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ वापिस भेजा जावे।

इस पर प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण का कथन है कि यदि प्रकरण को अधिकरण को पुन: निर्णय हेतु वापिस भेजा जाता है तो उनके द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले विधि दृष्टान्तों पर भी गौर पर निर्णय पारित करने के निर्देश अधिकरण को दिये जावें। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री के.एन.तिवारी ने इस न्यायालय का ध्यान विधि दृष्टान्त 2012 ACJ 1428 संतोषदेवी बनाम नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड व अन्य की ओर आकर्षित किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं अपीलाधीन निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2.11.2010 को विवाघक संख्या 3 व 4 की सीमा तक अपास्त करते हुए मामला अधिकरण को पुन: निर्णय हेतु भेजा जाकर उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे पक्षकारान द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले न्यायिक विनिश्चयों, यदि वे मामले में लागू होते हों तो उनके प्रकाश में विवाघक संख्या 3 व 4 के सम्बन्ध में अपना निर्णय सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुन: पारित करते हुए मामले का शीघ्र निस्तारण करे। क्लेमेन्ट को पंचाट की सम्पूर्ण राशि या आंशिक राशि प्राप्त हो गयी हो तो अधिकरण के निर्णय तक उनसे उक्त राशि की वसूली नहीं की जावे। पक्षकारान अधिकरण के समक्ष दिनांक 01.7.2013 को उपस्थित हों।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत इस अपील का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है। अपील के साथ संलग्न स्थगन प्रार्थनापत्र का निस्तारण भी उपरोक्तानुसार किया जाता है।

महेशचन्द्र शर्मा
न्यायाधिपति

सुरेश

All corrections made in the judgment /order have been incorporated in the judgment /order being E-mailed.

SK Sharma
PS